UPBS120003222020

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 261/2020

केशराम बनाम शेषराम

20.09.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारों द्वारा वादबिन्दुओं के विरचन पर बल दिया गया। दौरान तर्क पक्षकारों से सुलह समझौते के बारे में पूछा गया, किन्तु अस्वीकार किए जाने की दशा में उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किए गए –

01. क्या वादीगण विवादित भूमि अक्षरान A, B, C, D प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र एवं उसमें स्थित निर्माण में से 1/3–1/3 भाग को अलग करा पाने के अधिकारी हैं?
02. क्या वादीगण विवादित भूमि अक्षरान A, B, C, D प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र एवं उसमें स्थित निर्माण के 1/3–1/3 भाग के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा का उपचार पाने के अधिकारी है?
03. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?
04. क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
05. क्या दावा वादीगण धारा 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
06. क्या दावा वादीगण मौन स्वीकृति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है?
07. क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

उपरोक्त वादबिन्दुओं के अलावा न तो कोई वादबिन्दु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिन्दु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० 3 व 4 दिनांक 28.11.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान बस्ती।

Digitally signed by DIKSHA AGARWAL
Date: 2022.09.20 17:08:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court